न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 14/2022

1. रामकुमार पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. गुलाबी देवी पत्नि महावरी
2. महावीर पुत्र जगदीश समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम पिपराली हाल आबाद ग्राम पुरोहित का 'बास तहसील व जिला सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

अपील विरूद्व नामा0 संख्या 2609 बआबत ग्राम पंचायत पुरोहित का बास पटवार हल्का पुरोहित का बास भू अभिलेख निरीक्षक पिपराली तहसील व जिला सीकर प्रविष्टि दिनांक 20.6.20.22 निर्णित दिंाक 22.7.2022 ग्राम पंचायत पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर

उपस्थित – वकील अपीलाण्ट– श्री सांवरमल चौधरी
वकील रेस्पोडेण्टस – श्री महेन्द्र जाखड़

निर्णय

दिनांक : 17.11.22

वकील अपीलाण्ट ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 2609 दिनांक 20.7.2022 ग्राम पंचायत पुरोहित का बास के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम पुरोहित का बास द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 2609 प्रविष्टि दिनांक 20.6. 2022 निर्णित दिनरांक 22.7.2022 विरूद्व कानून है। ग्राम पुरोहित का बास की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3483, 3494, 3509, 3900, 4023/2281, 4024/2149, 4026/2282, 4028/2283, 4428/2283, एवं 4429/2283 से 4436/2285 किता 16 कुल रकबा 15. 18 है0 में अपीलाण्ट 1/20 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पो0 सं. 1 का

12204433/235138200 हिस्सा है। रेस्पो0 सं0 2 का 8449/154900 हिस्सा है। रेस्पो0 सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा एवं रेस्पो0 सं0 2 ने 0.69 है0 भूमि अपीलाण्ट को दिनांक 10.6.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी एवं कब्जा संभला दिया। उक्त वि[illegible] पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.6.2022 को नामा0 दर्ज किया गया एवं दिनांक 30.6.2022 को भू. अ. वृत पिपराली द्वारा जांच रिपोर्ट की गई जिसके अनुसार नामा0 सही रूप से दर्ज किया जाना अंकित किया गया। इसके पश्चात नामा0 ग्राम पंचायत के समक्ष उचित आदेश हेतु रखा गया। अधिनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर मनमाने रूप से प्रस्ताव संख्या 1 से नामा0 अस्वीकार कर दिया। दिनांक 22.7.2022 को योग्य अधिनिरथ ग्राम पंचायत द्वारा साजसी रूप से विवादित भूमियों के सह खातेदार रामदयाल व सुरेश से निराधार प्रार्थना पत्र लेकर नामा0 खारिज किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिसको ऐसे आदेश पारित किये जाने के कोई अधिकार नहीं है। कानूनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अटेस्टिंग अधिकारी नामा0 तस्तदीक करने हेतु बाध्य है, विपरित जाकर इस आधार पर नामा0 खारिज नहीं किया जा सकता है कि क्रेता का खरीदशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। केवल मात्र एक सहखातेदार के कहने से नामा0 खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत पुरोहित का बास द्वारा नामा0 2609 को खारिज किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिर्स्टड नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेण्टस जरिये वकील उपस्थित रहे। वकील रेस्पो0 ने अपील स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।

बहस वकील अपीलाण्टस सुनी गई जो मुताबिक अपील रही। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत सबूतों के अनुसार अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 में रामदयाल व सुरेश द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामा0 सं0 2609 को खारिज किया जावे क्योंकि क्रेता को उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त नहीं है, के आधार पर नामा0 को अस्वीकार कर दिया। कानूनन अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया ना ही नामा0 तस्दीक किये जाने के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। किसी एक सहखातेदार के आवेदन के आधार पर अपीलाधिन नामा0 को अस्वीकार किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं

Scanned with Oken Scanner

है। इस प्रकार अधिनिस्थ ग्राम पंचायत का उक्त आदेश विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 2609 दिनांक 22.7.2022 ग्राम पंचायत पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर रजिस्र्ड विक्रय के आधार पर नामा0 के संबंध में पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक17.11.22को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

17.11.22

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner